रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,

बाबू राम रूक्मणी देवी
उ0मा0विद्यालय मूसानगर
रमाबाईनगर।

दिनांक-22-7 2013

पत्रांकःमा0शि0प0 / मान्यता / इ / 211
(9री 10)

विषयः सीधे / हाईस्कूल (नवीन) / की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति,माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन ने इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा--7क(क) के अन्तर्गत आपकी संस्था बाबूराम रूक्मणी देवी उ0मा0विद्यालय मूसानगर रमाबाईनगर को बालक / बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2015 से निम्नलिखित सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों सहित एक साथ(वनटाइम) मान्यता सभी अनिवार्य एवं अतिरिक्त विषयों सहित इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की धारा–7कक के प्रावधानों के अधीन दिये जाने का आदेश प्रदान किया है:-

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) प्रबन्धाधिकरण कक्षा–9 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व प्रशासन योजना,शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था,साज–सज्जा,शिक्षण सामग्री,प्रयोगशाला,भवन, पुस्तकालय, प्राभूत, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद् को 9वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज–सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।

(4) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यता से युक्त व्यक्तियों को अपने स्रोतों से व्यवस्था के लिये प्रबन्धाधिकरण स्वंय उत्तरदायी होगा।

(5) विद्यालय की प्रशासनिक एवं शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यंय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नहीं होगा।

कृ0प0उ0

प्रधानाचार्य
बाबूराम रुक्मणी देवी इण्टर कॉलेज
मूसानगर कानपुर देहात

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो, विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करयेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाएं मान्य एवं संचालित नहीं होंगी।

टिप्पणी–इस पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छ:) माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

22-7-13

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

पृष्ठांकन सं0:मा0शि0प0/मान्यता/इ/

दिनांक– 20

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक। रमाबाईनगर

2– संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक। कानपुर

3– हाईस्कूल परीक्षा अनुभाग,माध्यमिक शिक्षा परिषद,क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

4– सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,मुख्य कार्यालय,इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

रजिस्टर्ड

प्रेषक,

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,

बाबूराम रूक्मणी देवी
उ0मा0विद्यालय मूसानगर, रमाबाईनगर।

पत्रांकःआई0वी0मान्यता/इ/ 202 दिनांक-22-7-2013

विषयः इण्टरमीडिएट परीक्षा के लिये नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषय की मान्यता के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन ने मान्यता समिति एवं सभापति,माध्यमिक शिक्षा परिषद की संस्तुति के उपरान्त इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा-7क(क) के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालक/बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2015 की इण्टरमीडिएट परीक्षा से निम्नलिखित वर्ग/विषयों में सामान्य व विशेष प्रतिबन्धों के साथ नवीन/अतिरिक्त वर्ग/विषयों में मान्यता इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम की धारा-7कक के प्राविधानों के अधीन प्रदान किया है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा(संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा-7क(क) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन/वर्ग/विषय की प्रदत्त मान्यता को 11 वीं कक्षा संचालित करने के पूर्व शिक्षा के प्रबन्ध की व्यवस्था,शिक्षण व्यवस्था,साज-सज्जा,शिक्षणसामग्री,प्रयोगशाला,भूमि/भवन,पुस्तकालय,प्राभूत कोष, सुरक्षित कोष एवं आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धों की पूर्ति कर ली जाय तथा विद्यालय के अनुशासन एवं प्रशासन की व्यवस्था सुनिश्चित कर जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से परिषद् को अवगत करायें।

(2) इस मान्यता पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही संस्था द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक एवं परिषद कार्यालय को 11 वीं कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय,अन्यथा इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) इस पत्र में अंकित विषयों के अध्यापनार्थ परिषद् द्वारा निर्धारित न्यूनतम योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।

(4) नियमानुसार एक योग्य प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या की नियुक्ति की जाय। यह प्रतिबन्ध केवल इण्टरमीडिएट की नवीन मान्यता पर ही प्रभावी होगा।

(5) इस पत्र द्वारा प्रदत्त मान्यता की नवीन कक्षायें संचालित करने का समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा तथा इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अधिनियम,1987 की धारा-7कक के समस्त प्राविधान यथावत् लागू होंगे। इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

कृ0प0उ0

प्रधानाचार्य
बाबूराम रुक्मणी देवी इण्टर कॉलेज
मूसानगर कानपुर देहात

प्रमाणित

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्थाधिकारी द्वारा मान्यता सम्बन्धी प्रस्तुत किये गये विवरण में यदि कोई सूचना/प्रमाण गलत अथवा मिथ्या पाया जाता है अथवा कोई तथ्य छिपाया जाता है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय का प्रबन्धतंत्र प्रत्येक तीन माह में विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों एवं कर्मचारियों की सूची उनकी शैक्षणिक योग्यताओं के साथ परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे अन्यथा विद्यालय को प्रदत्त मान्यता प्रत्याहरित कर ली जायेगी।

(ग) प्रतिभूत (जमानत) की धनराशि रु० 10,000/(रु० 5000=00प्रति वर्ग की दर से) विद्यालय के नाम जमा एवं जिला विद्यालय निरीक्षक के पदनाम में बंधक कराकर प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से भेजे।

प्रदत्त मान्यता का विवरण

वर्ग	अनिवार्य विषय	वैकल्पिक विषय
इण्टरमीडिएट मानविकी तथा	हिन्दी	अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, नागरिकशास्त्र, शिक्षा समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान तथा चित्र
वैज्ञानिक वर्ग नवीन	हिन्दी	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, ग तथा कम्प्यूटर।

टिप्पणी:–उक्त पत्र में अंकित समस्त सामान्य एवं विशेष प्रतिबन्धों की पूर्ति 6(छः) माह के अन्दर किये जाने की आख्या एवं प्रमाण निरीक्षक के माध्यम से प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा।

भवदीय,

22-7-13

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्याःआई0वी0मान्यता/इ/ दिनांक– 20

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– जिला विद्यालय निरीक्षक, रमाबाईनगर
2– संभागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर
3– सम्भागीय उप शिक्षा निदेशक, कानपुर
4– इण्टरमीडिएट परीक्षा अनुभाग को अभिलेख हेतु।
5– सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद,मुख्य कार्यालय इलाहाबाद।

क्षेत्रीय सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
क्षेत्रीय कार्यालय,इलाहाबाद।

प्रेषक,

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
कानपुर मण्डल, कानपुर।

सेवा में,

प्रबन्धक,
बाबूराम रूकमणी देवी जू0 हा0 स्कूल,
गौरा गंज, मुसानगर, विकासखण्ड, अमरौधा
कानपुर देहात।

पत्राँकः शि0स0/ 2349-52 /2006-2007/दिनाँक : 29|06|06

विषयः-विद्यालय को जू0 हा0 स्कूल की अस्थाई मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

राजाज्ञा सं0-शि0 (6) अनु0-646/15-6-67-18 एस (7)/89 दिनाँक 13 अगस्त 1997 में निहित शर्तो एवं नियमों के अधीन दिनाँक ***22 जून 2006*** में अस्थाई मान्यता समिति के अध्यक्ष/मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), कानपुर मण्डल, कानपुर की अध्यक्षता में अयोजित बैठक में लिए गए निर्णय एवं निर्देशों के अनुसार आपकी संस्था को ***सत्र 2006-2007 से अशासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय (जू0हा0स्कूल) स्तर की अस्थाई मान्यता प्रदान की जाती है।***

सन्दर्भित शासनादेश में निहित निर्देशो एवं प्राविधानों के तहत विद्यालय मे निम्नलिखित पद अनुमन्य होगे।

1-	प्रधानाध्यापक	-	एक
2-	सहायक अध्यापक	-	चार (जिसमें एक अध्यापक विज्ञान तथा एक भाषा)
3-	लिपिक	-	एक
4-	चतुर्थ श्रेणी	-	एक

आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप शासन एवं विभाग के निर्देशानुसार निम्नलिखित प्रतिबन्धो का अनुपालन करेंगे। यदि आपके विद्यालय में शासकीय आदेशों के विपरीत कोई तथ्य प्रमाणित पाया जाता है तो अस्थायी मान्यता प्रत्याहरित की जा सकती हैं।

-: प्रतिबन्ध :-

1 विद्यालय के प्रबन्धक का तथा उसके कार्यो का प्रबन्ध करने वाले व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वह बेसिक शिक्षा परिषद के अधिनियम तथा इन नियमावली के उपप्रबन्धों को परिषद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन करेगा।

2 विद्यालय के छात्रों के चरित्र निर्माण सन्बन्धित एवं राष्ट्रीय एकता, ध्वज का सम्मान व सर्व-धर्म-सम्भाव तथा मानवीय मूल्यों की सम्प्रति के जारी विभिन्न शासनादेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाये।

प्रमाणित,
प्रधानाचार्य
बी0आर0डी0 इण्टर कालेज
मूसानगर, कानपुर (देहात)

3 विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकों से भिन्न पाठ्यक्रमों नें न तो शिक्षा दी जायेगी और न ही पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा। विद्यालयों में राष्ट्रीय गीतों एवं राष्ट्रगान के गायन की व्यवस्था की जायेगी।

4 विद्यालय में अपने शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को वही वेतनमान महंगाई भत्ता देने को जिम्मेदार होगा जो परिषद के समान अर्हता वाले शिक्षक/शिक्षणेत्तर को प्राप्त हो रहे होगे शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान चेक के द्वारा बैक के माध्यम से उनके खातों मे अन्तरण के द्वारा किया जायेगा। विद्यालय के समस्त स्थाई अध्यापकों का भविष्य निर्वाह निधि की योजना लागू की जानी चाहिए।

5 विद्यालय मे शिक्षा का माध्यम देवनागरी (हिन्दी) होगी। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप मे पढ़ाई जायेगी। विद्यालय मे अस्वीकृत पुस्तकों का प्रयोग नही किया जायेगा। विद्यालय मे सभी वर्ग, धर्म जाति का प्रवेश किया जाना अनिवार्य होगा।

6 विद्यालय मे शिक्षा विभाग के द्वारा निर्धारित शुल्क लिया जायेगा। विद्यालय की समस्त निधियों का लेखा उचित रूप से बैक अथवा डाकघर में रखा जायेगा। भवन शुल्क कैपिटेशन के रूप में कोई भी अनाधिकृत धनराशि छात्रों से लिया जाना वर्जित होगा।

7 जू0हा0 स्कूल के भवन में प्राइमरी एवं अन्य कक्षाओं को संचालन कदापि नही किया जायेगा तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पूर्व स्वीकृत के बिना संस्था द्वारा कक्षा अनुभाग न तो बन्द किया जायेगा, न खोला जायेगा एवं स्थानान्तरित भी नही किया जायेगा।

8 यदि कोई तथ्य असत्य पाया गया तो मान्यता स्वतः निरस्त हो जायेगी।

भवदीय

(रेखा श्रीवास्तव)
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
कानपुर मण्डल, कानपुर।

पृ0सं0/शि0स0 / /2005-06/ तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर देहात।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर देहात।
3. सचिव,बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

(रेखा श्रीवास्तव)
मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक)
कानपुर मण्डल, कानपुर।

प्रमाणित
प्रधानाचार्य
बी0आर0 डी0 इण्टर कालेज
रूराधनगर, कानपुर (देहात)

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात।

पत्रांक /मान्यता/प्रा0स्तर/अस्थाई/ 1056.59 /2008-09 दिनांक 29-12-2008

प्रबन्धक,

वी॰आर॰डी॰ प्रा0वि0 मूसानगर, अमरौधा,
कानपुर देहात

आप के विद्यालय की प्राइमरी स्तरीय अस्थाई मान्यता के प्रार्थनापत्र पर प्रति उप विद्यालय निरीक्षक/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी की आख्या एंव संस्तुति के आधार पर बेसिक शिक्षा नियमावली के अध्याय -6 के अन्तर्गत रा0सं0/1993-6-12 (8) 31 दिसम्बर 1988 रा0स0/2040/15-5-12 (6) दिनांक 25.4.91 व 230/15-90 (8 एस) (7) 89 16 जनवरी 1996 तथा रा0स0/873/15.6.98-1 एस (7) 98 10 सितम्बर 1998 के अनुसार आपके विद्यालय को पत्र निर्गमन की तिथि से अस्थाई मान्यता निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन जारी करने का निर्णय मान्यता समिति ने दिनांक 29-12-08 को अपनी बैठक में लिया है, तदनुसार आपके विद्यालय को प्राइमरी स्तर की अस्थाई मान्यता दिनांक 29-12-08 प्रदान की जाती है। यह मान्यता पत्र निर्गमन तिथि से 05 वर्षो हेतु अर्ह है।

1. विद्यालय की प्रबन्ध समिति का नवीनीकरण नियमित कराकर रखा जाय अन्यथा यह आदेश निष्प्रभावी एंव अमान्य होगा।
2. विद्यालय का सुरक्षित कोष रू0 1000.00 एंव प्राभूत कोष रू0 2800.00 को अधोहस्ताक्षरी के पदनाम से नियमित बन्धक रखा जाय।
3. विद्यालय की साज सज्जा समुचित नही है क्रीड़ा सामग्री पाठय पुस्तकों की व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार की जाय।
4. विद्यालय में सभी शिक्षक प्रशिक्षित होने की व्यवस्था अनिवार्य रूप की जाय साथ ही स्थाई मान्यता आवेदन पत्र में शिक्षकों के शैक्षिक एंव प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों को संलग्न किया जाय।
5. विद्यालय कके भूमि एंव भवन की निजी व्यवस्था की जाय।
6. शिक्षा विभाग द्वारा मानक के अनुसार निर्धारित छात्रों से शुल्क लिया जाय तथा विद्यालय को समस्त निधियों का लेखा का उचित रख रखाव एंव जमा डाकघर एंव अनुसूचित बैंक में रखा जाए।
7. विद्यालय में कार्यरत प्रशिक्षित शिक्षक को बिना अधोहस्ताक्षरी एंव अध्यक्ष मान्यता समिति की अनुमति लिए न तो निकाला जाए और न ही पद से मुक्त किया जाए।
8. विद्यालय में अस्वीकृत पुस्तको का प्रयोग कदापि न किया जाय तथा अनाधिकृत कक्षाऐं कदापि न चलायीं जाऐं।

आपके द्वारा उक्त प्रतिबन्धों में शिथिलता पायें जाने तथा विभागीय नियमों का उल्लंघन करने पर साथ ही बिन्दु सं0-1 से 8 तक किसी शर्तो का पालन न होने पर उक्त प्रदत्त मान्यता का आदेश निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी एंव अध्यक्ष मान्यता समिति का होगा। मान्यता निरस्त करने के विरूद्ध कोई कानूनी अधिकार प्रबन्ध समिति को न होगा।

29/12/08
(सतीश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात। 29/12/08

आपके विद्यालय की मान्यता दिये जाने के समय कार्यरत मान्य प्रशिक्षित शिक्षकों का विवरण निम्नलिखित है।
1. प्र॰अ॰ श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह प्र॰अ॰ एम॰ काम॰ बी॰ एड
2. श्री अमित कुमार स॰अ॰ एम॰ए॰ बी॰ एड
3. श्री अरविन्द सिंह परमार स॰अ॰ एम॰ए॰ बी॰ एड
4. सन्दीप सिंह स॰अ॰ बी॰ए॰ सी॰पी॰ एड
5. श्री प्रकाश स॰अ॰ बी॰ एबी॰ एड

पृ0सं0/सेवा/मान्यता/प्रा0स्तर अस्थाई/ /2007-08 दिनांक वही।
प्रतिलिपि- निम्नलिखित कों सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
1. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक कानपुर मण्डल कानपुर।
2. जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
3. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय कानपुर देहात।
4. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरौधा कानपुर देहात।
5. सम्बन्धित पत्रावली/आदेश पत्रावली हेतु।

29/12/08
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात।
29/12/08

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\ramblas\sankar.doc

प्रधानाध्यापक
बाबूराम रुक्मणी देवी प्राइमरी स्कूल
मूसानगर कानपुर (देहात)